


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामादेवी बनाम प्रभाती देवी 33/2018</p>
	<p>तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्त ने भी अपील को आंशिक स्वीकार करने में एवं प्रकरण तहसीलदार बस्सी को रिमाण्ड करने में अपनी सहमति दी है। अतः अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.17 के अनुसरण में अपीलान्त को भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।</p> <p style="text-align: right;">  (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त जयपुर </p>

अ
हु

अपील सं०...33

1. रामा दे
 2. तीजा
- समस्त
जिला ज

भारत
सी
र